

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1544 / 2008 / हनुमानगढ़.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हनुमानगढ़ रोलर फ्लोर मिल्स प्रा० लिमिटेड,
हनुमानगढ़ जंक्शन.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. एस. राठौड़,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री सुरेश ओझा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 20/05/2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 215/आरवेट/हनुमानगढ़/07-08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.2.2008 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के वेट अधिनियम की धारा 18, 25, 61 व 75 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.8.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 22.12.2006 को श्री हरिप्रसाद गट्टानी की उपस्थिति में किया गया था। प्रत्यर्थी गेहूं से आटा, मैदा व सूजी का विनिर्माण कर विक्रय करता है। वक्त सर्वेक्षण कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि स्टॉक रजिस्टर अनुसार गेहूं, आटा, मैदा व सूजी का स्टॉक क्रमशः 6422.64 क्विंटल, 447.43 क्विंटल, 4529.34 क्विंटल व 568.84 क्विंटल घोषित किया गया है, लेकिन भौतिक रूप से आटा, मैदा व सूजी का स्टॉक शून्य पाया गया। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को वेट अधिनियम की धारा 75 के तहत नोटिस जारी कर अग्रिम जांच की। जांच में यह भी पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा गेहूं की खरीद मैसर्स प्रवीण ट्रेडर्स, बी-10, हनुमानगढ़ जं० से की गई है, जिन्होंने अपनी खरीद मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज हनुमानगढ़ जं० से बताई है, जो कि

लगातार.....2


अस्तित्वहीन फर्म थी। मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज का पंजीयन दिनांक 12.12.2005 से ही दिनांक 1.4.2006 को निरस्त किया जा चुका था। पुनः कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 18, 25, 61 व 75 के तहत नोटिस दिनांक 15.3.2007 की पेशी तारीख का जारी किया जाकर पूछा गया कि आपने आटा, मैदा, सूजी की उच्चन्ति बिक्री मानकर वेट व धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की जावे तथा मैसर्स प्रवीण ट्रेडर्स की गई खरीद रुपये 44,58,057/- पर वेट अधिनियम की धारा 18 के तहत आई.टी.सी. अस्वीकार की जाकर शास्ति आरोपित की जावे। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण व जवाब को अमान्य करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 30.8.2007 को वर्ष 2006-07 की तृतीय तिमाही का कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए आटा, मैदा व सूजी की उच्चन्ति बिक्री रुपये 66,23,888/- पर 4 प्रतिशत की दर से कर, वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति रुपये 5,29,911/- आरोपित की। वेट अधिनियम की धारा 18 के तहत रुपये 1,78,322/- की आई.टी.सी. रिवर्स करते हुए वेट अधिनियम की धारा 61(2)(ए) के तहत शास्ति रुपये 7,13,288/- आरोपित कर मांग सृजित की।

कर निर्धारण अधिकारी के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश से अपील स्वीकार करते हुए निर्णीत किया कि (1) कर निर्धारण अधिकारी ने सर्वेक्षण दिनांक से 6 माह के पश्चात कर निर्धारण आदेश पारित किया, जो कि अवधिपार होने के कारण अविधिक है, (2) सर्वेक्षण के समय भौतिक सत्यापन राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 के नियम 51 विहित दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में नहीं किये जाने के कारण सर्वेक्षण विधिसम्मत नहीं है तथा (3) मैसर्स प्रवीण ट्रेडर्स से की गई खरीद फॉल्स व फोर्ज्ड वेट इन्वॉयसेज से नहीं किये जाने के कारण आई.टी.सी. रिवर्स व धारा 61(2)(ए) के तहत आरोपित शास्ति को भी अविधिक अवधारित कर अपास्त किया।

अपीलीय आदेश को इस द्वितीय अपील में चुनौती दी गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के समय कथन किया गया कि प्रत्यर्थी का सर्वेक्षण दिनांक 22.12.2006 को किया गया था, लेकिन करापवंचन का प्रकरण नोटिस दिनांक 27.2.2007 द्वारा डिटेक्ट किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने सर्वेक्षण दिनांक 6 माह की अवधि मानकर विधिक भूल की है।





लगातार.....3

अग्रिम कथन किया कि सर्वेक्षण फर्म के निदेशक श्री हरिप्रसाद गट्टानी की उपस्थिति में किया गया था, इसलिए वैट नियम 51 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने असंगत निर्णयों को आधार मानकर नियम 51 का उल्लंघन होना अवधारित कर विधिक भूल की है।


अग्रिम यह भी कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने यह अवधारित कर भी भारी विधिक की है कि मैसर्स प्रवीण ट्रेडर्स के वैट इन्चॉयसेज फोर्ड व फॉल्स नहीं थे, जबकि मैसर्स प्रवीण ट्रेडर्स द्वारा क्रय किये गये माल के विक्रेता मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज का पंजीयन पूर्व में ही दिनांक 1.4.2006 को ही भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया जा चुका था।

उक्त आधारों पर उचन्ति बिक्री पर कर, शास्ति, आई.टी.सी. रिवर्स व शास्ति को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर विधिक भूल किये जाने के कारण अपीलीय आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वैट अधिनियम की धारा 25 के तहत कर निर्धारण हेतु समयावधि विहित है। प्रावधान में जोड़े गये स्पष्टीकरण के मददेनजर भी करापवंचन के प्रथम नोटिस दिनांक 27.2.2007 के मददेनजर भी दिनांक 30.8.2007 को पारित कर निर्धारण आदेश 6 माह की अवधि के पश्चात होने के कारण अवधिपार है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अविधिक अवधारित कर कोई भूल नहीं की है।

अग्रिम कथन किया कि सर्वेक्षण वैट नियम के नियम 51 की पालना के बिना किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने (2007) 19 टैक्स अपडेट 256 में स्पष्ट रूप से सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्थान विक्रय कर नियम के नियम 50 (वैट नियम 51) में विहित अनुसार दो स्वतंत्र गवाहों के बिना किया गया सर्वेक्षण विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने इसी निर्णय के अनुसरण में सर्वेक्षण कार्यवाही को अविधिक निर्णीत किया है। यह प्रस्तुत प्रकरण में सुसंगत निर्णय होने के बावजूद इसे असंगत बताया जाकर द्वितीय अपील में प्रत्यर्थी को घसीटा गया है।

अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा मैसर्स प्रवीण ट्रेडर्स से वैध वैट इन्चॉयसेज के द्वारा माल क्रय किया गया है, फिर भी मैसर्स प्रवीण ट्रेडर्स के विक्रेता के पंजीयन निरस्त होने के आधार पर प्रवीण ट्रेडर्स के इन्चॉयसेज को फॉल्स व फोर्ड घोषित किया गया है। मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज का पंजीयन भी भूतलक्षी प्रभाव से बाद में निरस्त किया गया है, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी




लगातार.....4

की खरीद पर चुकाये गये आई.टी.सी. को रिवर्स किया जाना पूर्णतया अविधिक था, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया जाकर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। तर्क के समर्थन में समन्वयपीठ के (2010) 27 टैक्स अपडेट 109 वाणिज्यिक कर अधिकारी, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स विजय ट्रेडर्स के निर्णय को उद्धरित किया है, जिसमें माल विक्रेता के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रेता से खरीद पर आई.टी.सी. अस्वीकार करने के साक्ष्य को द्वैतीयक साक्ष्य माना गया है। जिसके आधार पर आई.टी.सी. अस्वीकार को अविधिक निर्णीत किया है। एकलपीठ के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के (1998) 109 एस.टी.सी. 439 का अनुसरण करते हुए तथा वेट अधिनियम की धारा 16(6) के आधार पर आई.टी.सी. स्वीकार्य निर्णीत की है।


उक्त आधारों पर अपीलीय आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी को अनावश्यक रूप से परेशान करने की नियत से यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलार्थी पर लिटिगेशन की कोस्ट लगाते हुए अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। तर्क के समर्थन में 252 आई.टी. आर. 333 चिरंजीलाल टांक बनाम भारत संघ के निर्णय को उद्धरित किया है।


उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उद्धरित निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण श्री हरिप्रसाद गट्टानी की उपस्थिति में किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट पर श्री गट्टानी के अलावा विभागीय अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। भौतिक सत्यापन शीट पर भी श्री गट्टानी, वाणिज्यिक कर निरीक्षक तथा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं। यद्यपि माल का भौतिक सत्यापन श्री जयचंद मुनीम द्वारा कराया गया था, लेकिन गवाहों की उपस्थिति में सर्वेक्षण नहीं किया गया था। वेट नियम 51 उद्धरित किया जाना समीचीन होगा -

51. Procedure for search and seizure under section 75 -

(1) The officer who carries out a search under section 75, shall adopt the following procedure,-


- (a) The officer should record reasons as to why under the facts and circumstances of the case, search is necessary.
- (b) Before making a search, such officer shall call upon two witnesses to attend and witness the search and may issue an order in writing to them to do so.



 लगातार.....5

- (c) The dealer or his business manager or any other person performing any activity relating to the business at the business place, building or other premises searched, shall be deemed to be the person in-charge of such premises and shall also be permitted to witness the search.
- (d) If any building or place is an apartment in the actual occupancy of a woman, who according to custom does not appear in public, the officer shall afford her every reasonable facility to withdraw.
- (e) Search of person may be made, but in case of a woman it shall be carried out by a woman.
- (f) In case of seizure of goods, articles and documents under this sub-rule, the procedure of sub-rule (2) shall be followed.
- (2) The accounts, registers, documents, goods and articles may be examined without calling witnesses by the officer empowered under section 75, but in the case of seizure thereof, the following procedure shall be adopted,-
- (a) seizure shall be made in the presence of two witnesses.
- (b) seizure memo shall be prepared by such officer in Form VAT-46 and reasons for seizure shall be recorded therein.
- (c) seizure memo shall also contain the list of the accounts, registers, goods, articles and the documents seized.
- (d) seizure memo shall be signed by the officer who effects seizure, by the dealer or his business manager or person in-charge of the business and by the witnesses.
- (e) The officer making seizure shall tender one copy of the seizure memo to the dealer or his business manager or the person in-charge of the business premises, as a token of receipt, and one copy thereof shall be forwarded by him to the Commissioner within twenty four hours after such seizure is made.
- (3) The books of accounts or other documents maintained in the form of electronic record as defined in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Indian Information Technology Act, 2000, may also be seized. In such cases the dealer or his business manager or person in-charge of the business or person in-charge of these electronic records shall be bound to disclose the password and such other information as may be asked for by the authorized officer(s).

प्रावधान अनुसार सर्वेक्षण तथा माल का भौतिक सत्यापन गवाहों की उपस्थिति में किया जाना चाहिये, जो कि प्रस्तुत प्रकरण में नहीं किया गया है, इसलिए सर्वेक्षण की कार्यवाही विधिसम्मत नहीं होने के कारण उसके आधार पर करापवंचन प्रमाणित नहीं किया जा सकता।




लगातार.....6


प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 22.12.2006 को किया गया था तथा करापवंचन डिटेक्ट कर प्रथम नोटिस दिनांक 27.2.2007 को जारी किया गया था, जबकि कर निर्धारण दिनांक 30.8.2007 को पारित किया गया है, जो कि निश्चित रूप से 6 माह के बाद पारित किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 25 के सुसंगत अंश उद्धरित करना उचित होगा -


25. Assessment in case of avoidance or evasion of tax. -

- (1) Where the assessing authority or any officer authorized by the commissioner in this behalf has reasons to believe that a dealer has avoided or evaded tax or has not paid tax in accordance with law or has availed input tax credit wrongly, he may after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, determine at any time and for any period, that taxable turnover of such dealer on which tax has been avoided or evaded or has not been paid in accordance with law or wrong input tax credit has been availed and assess the tax to the best of his judgment.
- (2) The tax assessed under sub-section (1), after adjustment of input tax credit and the amount deposited in advance in this behalf, if any, shall be payable by the dealer within thirty days from the date of service of the notice of demand. However, the assessing authority or any officer authorized by the Commissioner, after recording reasons in writing, may reduce such period.
- (3) The assessment under sub-section (1) shall not be made after the expiry of a period of six months from **the date of making out the case**. However, the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, in any particular case, extend this time limit for a further period not exceeding six months.
- (4) Notwithstanding anything contained in this Act, where notice has been issued under sub-section (1), the authority issuing such notice shall be competent to make the assessment for the relevant year or quarter, as the case may be; and assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

Explanation - For the purpose of this Section the expression "**date of making out the case**" means the date on which notice in pursuance of this section is issued for the first time to the dealer.

प्रावधान के आलोक में प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधिपार आदेश पारित किया गया है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर कोई विधिक भूल कारित नहीं की है।




 लगातार.....7


चूंकि प्रकरण के अवधिपार निस्तारण होने एवं वैट नियम 51 की पालना नहीं होने के कारण अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। इसलिए प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना निरर्थक होगा।

प्रकरण में करापवंचन की अपुष्ट सम्भावनाओं के मददेनजर अपीलार्थी पर कोस्ट अवार्ड करना विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


20-5-14
(अमर सिंह)
सदस्य


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
20/5/14